संख्या- 32/688/24-1-14-607(बजट)/2014

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2014**

विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-757/पीएसडीएफ/2014, दिनांक 11.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण, 11 के0वी0 क्षमता का कार्य एवं नये परिवर्तकों के क्रय हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्यों हेतु विभिन्न मदों में से रूपये 98,10,00,000/- (रूपये अठठानवे करोड़ दस लाख मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या- 9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801- बिजली परियोजना पर परिव्यय-आयोजनागत-05 संचरण तथा वितरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर -1 में स्वीकृति धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण, 11 के0वी0 क्षमता का कार्य एवं नये परिवर्तकों के क्रय के कार्यों जिनका डिस्कामवार विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :-

(1) ट्रांसफॉर्मर्स की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही ट्रांसफॉर्मर्स क्रय किये जायेगें।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा डिस्कॉम से उपभोग प्रमाण-पत्र के साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सत्यापित विवरण भी प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय सुसंगत नियमों को अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ट्रांसफॉर्मर्स तकनीकी रूप से उत्तम कोटि के हो ट्रांसफॉर्मर्स की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण प्रचलित बेंचमार्क मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है केवल उसी कार्य के लिए धनराशि को नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विचलन का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के संबंधित अधिकारी का होगा।

(6) उक्त कार्य संबंधित डिस्काम्स के विधिवत अनुमोदित बिजनेस प्लान में सम्मिलित हों।

(7) कार्यो को तात्कालिक रूप से कराये जाने की अपरिहार्यता हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 63/दस-2014, दिनांक 25 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /688(1)/24-1-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in